न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :— 04/2017

उनवान प्रकरण

मातादीन पुत्र कुन्दन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम जाटौली तहसील व जिला धौलपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर
.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 06.02.2017
तहसीलदार धौलपुर उनवानी सरकार बनाम मातादीन
मुकद्वमा नम्बर 50/2017 धारा 91 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 21.02.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का जाटौली की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 1050/773 रकवा 03 बीघा 02 विस्वा किस्म बारानी प्रथम सिवायचक स्थित ग्राम जाटौली तहसील धौलपुर पर सरसों की फसल बोकर सम्बत 2073 में अतिक्रमण किया है। पूर्ववर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने तथा लगान का 50 गुना 465/—रू0 शास्ति आरोपित करते हुये आदेश पारित किया है, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर नोटिस की तामील विधिवत नहीं है, न तो तारीख न गवाहान के हस्ताक्षर है। समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच नहीं की न पटवारी हल्का का कोई बयान लिया गया बिना जांच के आदेश पारित किया है। आदेश दिनांक 6.2.2017 तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रिन्टिटेड आदेश पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा अपने विवेक का कतई प्रयोग नहीं किया

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

गया है। आदेश नियम विरूद्व होने के कारण काबिल निरस्ती है। अपीलान्ट का सम्बत 2061 से लगातार कब्जा राजस्व अभिलेख में अंकित है। आवंटन कमेटी के समक्ष राजस्व अभियान में 2013 में प्रस्तुत किया था परन्तु आंवटन कमेटी गठित न होने के कारण नियमन नहीं हो सका। अपीलान्ट लधु कृषक है एंव अन्तोयदय परिवार का है। अतः नियमन की पात्रता रखता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.2.2017 निरस्त किये जाने तथा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर नियमन की सिफारिश किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट पर तामील विधिवत नहीं है तामील की दिनांक, समय, पहचानकर्ताओं के नाम व पता अंकिन नहीं है, तामील कुलिन्दा का शथप पत्र नहीं है, तामील विधिसम्मत नहीं है। अतः अनुपस्थिति का आदेश काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया है समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की गई है। उक्त आराजी काबिल नियमन है। अपीलान्ट अन्त्योदय परिवार का सदस्य है। गरीब किसानों के अधिकारों का हनन होता है, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बेदखल किया गया है कोई जांच नहीं की गई। आदेश काबिल निरस्ती है। आदेश दिनांक 6.2.2017 प्रिन्ट्रेड फॉर्म पर जारी किया गया है रिक्त स्थानों को भरा गया है, अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है। प्रिन्ट्रेड फॉर्म पर पारित आदेश, आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 2005 पेज 701, आर आर टी 2007(1) पेज 458 एवं आर आर टी 2011–12 पेज 733 के न्यायिक नजीरें पेश कर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट मातादीन पर स्वंय विधिवत हुई है। अतिक्रमी वावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा विवादित राजकीय भूमि पर सम्बत 2073 में संरसों की फसल बोकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट पूर्ववर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट मातादीन पर स्वंय हुई है। नोटिस पर उसके हस्ताक्षर है जो तामील कुनिन्दा द्वारा अपने हस्ताक्षर कर वाद तामील पेश किया गया है। अपील के पैरा–2 में

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

स्वंय अपीलान्ट का कथन है कि पटवारी हल्का ने कार्यवाही की सुनवाई पर उपस्थित होने हेतु मौखिक सूचना दे दी थी। इससे यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट को इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी रही है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन सत्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश छपे हुए प्रपत्र में खाली स्थानो पर पेन से कथित अतिकमण का विवरण अंकित किया है, यह विवेक पूर्ण आदेश न होकर मात्र फार्म भरने जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य सरसरी तौर पर करना अनुचित है। अपीलाधीन आदेश विवेक पूर्ण आदेश न होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.2.2017 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर विवेक पूर्ण आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)